न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 91/2021

[illegible] कुमार दूत पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं राजस्थान।
––– अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवलगढ (029), जिला झुंझुनूं।

––– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 24 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 विरूद्ध निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र नवलगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021

उपस्थित

1. अपीलांट– स्वयं उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 09.03.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) नवलगढ के आदेश दिनांक 26.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थिया/अपीलान्ट की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि कि अपीलार्थी, विधानसभा निवार्चन क्षेत्र नवलगढ (जिसको इसके पश्चात "उक्त निर्वाचन क्षेत्र" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) की वर्तमान मतदाता–सूची में पंजीकृत मतदाता है। ग्राम कोलसिया के कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने स्वयं की 21 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उसने शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजी सबूतो के साथ स्वयं का व्यक्तिगत विवरण सही होने की घोषणा स्वेच्छा से करके उक्त निर्वाचक क्षेत्र की मतदाता सूची वर्ष 1971 में प्रथम बार स्वयं का मतदाता (कुरडाराम पुत्र तेजाराम) के रूप में पंजीकरण करवाया था जो बी.एल.ओ. के सत्यापन के पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1971 के भाग संख्या 8 की प्रविष्टि कम संख्या 610 पर दर्ज हुआ था, उक्त प्रविष्टि संख्या 610 में कुरडाराम के पिता का नाम तेजाराम दर्ज है। तत्पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1975 के भाग संख्या 9 में प्रविष्टि कम संख्या [illegible] पर उक्त कुरडाराम का विवरण दर्ज हुआ था जिसमें भी उसके पिता का नाम तेजाराम दर्ज है। उपरोक्त मतदाता–सूचियों में उक्त कुरडाराम पुत्र तेजाराम का व्यक्तिगत विवरण सही दर्ज चला आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर झुन्झुनूं

रहा था लेकिन कुछ वर्षो बाद में उक्त कुरडाराम ने हेराफेरी व जालसाजी से बिना किसी उचित कारण के स्वयं के पिता के सही नाम (तेजाराम) की जगह पर गलत नाम (नानगीराम के रूप में) मतदाता–सूचियो में प्रतिस्थिापित करवा लिया जिससे मतदाता–सूचियो में उसके व्यक्तिगत विवरण वाली प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण हो गई। किसी भी मतदाता–सूची की प्रविष्टियों में प्रविष्टि क्रम संख्या, मतदाता का नाम, मतदाता के पिता या पति का नाम, मतदाता की घर–संख्या, मतदाता की आयु, मतदाता का लिंग आदि का विवरण उक्त प्रविष्टियों के भाग होते है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 की प्रविष्टि संख्या 956 में मतदाता कुरडाराम के पिता का नाम तथाकथित रूप से नानीग राम दर्ज है जो उसके पिता का सही नाम नहीं है। मतदाता कुरडाराम के पिता का नाम गलत होने के कारण से उक्त प्रविष्टी गलत व दोषपूर्ण विवरण वाली प्रविष्टी की श्रेणी में आती है। ग्राम कोलसिया में कुरडाराम नाम के लगभग 14–15 व्यक्ति निवास करते है लेकिन उनमें से किसी भी कुरडाराम के पिता का नाम नागीग राम नही है। उक्त प्रविष्टि संख्या 956 वाले कुरडाराम के पिता का सही नाम तेजाराम है जिसके प्रमाण में अपीलांट/आवेदक ने 7 दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन–पत्र के साथ उपलब्ध करा दिये थे जिनकी प्रतिलिपियां इस अपील के साथ में दुबारा संलग्नित की गई है। कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने 2 तरह की अलग–अलग पहचान वाले दस्तावेज बना रखे है जिनमें से कुरडाराम पुत्र तेजाराम के रूप में बने हुए पहचान सम्बन्धी दस्तावेज सही है और कुरडाराम तथाकथित पुत्र नानीग राम के रूप में बनाये गए पहचान सम्बन्धी दस्तावेज फर्जी, अवैध व कूटरचित तरीके से बनाए है। कुरडाराम ने अलग–अलग संख्या वाले 2 PAN (आयकर) विभाग से जारी करवा रखे हैं जिनमें से PAN (आयकर) AAYPC5820G में उसके पिता का सही नाम तेजाराम दर्ज है जबकि अवैध व कूटरचित तरीके से जारी करवाए गए दूसरे PAN (आयकर) BGRPC0226J में नानीग राम को उसने स्वयं का तथाकथित पिता दर्शा करके जारी करवाया हैं। उक्त दोनो PAN वर्तमान में सक्रिय है और विभिन्न जगह पर कुरडाराम पुत्र तेजाराम उनका अलग–अलग पहचान–पत्र के रूप में दुरूपयोग करता है। कुरडाराम ने उक्त कूटरचित व फर्जी पैन–कार्ड BGRPC0226J को सपोर्टिंग दस्तावेज के रूप में पेश करके स्वयं के आधार कार्ड सं. 325307913329 में पता (Address)में S/O तेजाराम की जगह पर C/O नानीग राम के रूप में कूटरचना से अवैध रूप से प्रतिस्थापित करवा लिया हैं जबकि नानीग राम की मृत्यु 60 वर्ष पहले सन 1962 में गयी थी और आधार कार्ड भी सन 2010 के बाद में बनने शुरू हुए है। कुरडाराम ने उक्त कूटरचित आधार कार्ड व PAN (आयकर) BGRPC0226J को पहचान के दस्तावेज के रूप में पेश करके आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार से वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान शराब–बिक्री का लाइसेन्स संख्या JUN/2016-2017/CL/130507019 दिनांक ..03.2016 प्राप्त करके ग्राम निवाई (तहसील नवलगढ) मे 2 वर्षो तक कारोबार किया। जबकि उसी कुरडाराम ने कूटरचना से पूर्व वाले आधार कार्ड व सही पैन (आयकर) AAYPC5820G को पहचान के दस्तावेजों के रूप मे पेश करके आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार से वित्त वर्ष 2014–2015 के दौरान शराब–बिक्री का लाइसेन्स संख्या JUN/2014-2015/CL/130507023 दिनांक 19.03.2014 प्राप्त करके ग्राम कोलसिया मे 2 वर्षो तक कारोबार किया था, इससे स्पष्ट साबित है कि एक ही व्यक्ति (कुरडाराम) ने 2 अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

भारतीय नागरिकों के रूप में छद्मव्यक्तिता (Impersonation) की। तेजाराम के पुत्र के रूप में कुरडाराम को हासिल हुई भारतीय नागरिकता के आधार पर कुरडाराम ने मतदाता–सूची वर्ष 1971 में स्वयं का नाम जुडवाया था। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में सरकारी सेवा की और वर्ष 2009 में सेवा–निवृत होकर राजस्थान सरकार से वर्तमान में पेन्शन ले रहा है। स्वयं का आधार–कार्ड संख्या 325307913329 व PAN संख्या AAYPC5820G बनवाये। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग में दिनांक 14.02.2014 को आवेदन करके वित–वर्ष 2014–15 के लिए शराब बिक्री का लाईसेन्स प्राप्त किया। इस प्रकार कुरडाराम, तेजाराम के पुत्र के रूप में बेशक एक भारतीय नागरिक है, लेकिन ग्राम कोलसिया में नानीग राम के पुत्र या दतक पुत्र के रूप में कुरडाराम नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में नही है। कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने मतदाता–सूची की प्रवष्टि में स्वयं के पिता का नाम तेजाराम की जगह पर नानीग राम बदलवा करके छद्मव्यक्तिता (Impersonation) की है और मतदाता–सूची की प्रविष्टि संख्या 956 को गलत व दोषपूर्ण विवरण वाली प्रविष्टि बना दिया है। अपीलांट/आवेदक ने उक्त गलत (Erroneous) व दोषपूर्ण (Defective) विवरण वाली प्रविष्टि संख्या 956 को मतदाता–सूची से हटवाने हेतु उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2021 पेश किया था। गलत व दोषपूर्ण विवरण वाली प्रविष्टि को मतदान–सूची से हटाने जाने का कानूनी प्रावधान लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम संख्या 21A में उपलब्ध है। तत्पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अपीलार्थी/आवेदक द्वारा पेश किये गए उक्त समस्त दस्तावेज मय विस्तृत प्रार्थना पत्र व फॉर्म–7 को सत्यापन हेतु भाग संख्या 110 के बी.एल.ओ. श्री शंकरलाल के पास भेज दिया। बी.एल.ओ. श्री शंकरलाल ने उक्त कुरडाराम के साथ मिलीभगत करके, अपीलार्थी/आवेदक द्वारा पेश किये गए सबूतों की पूर्णतया अनदेखी करके कुरडाराम के पिता के सही नाम के बारे में कोई सही जांच पडताल नही की और बी.एल.ओ. ने कुरडाराम द्वारा कूटरचना से तेजाराम के नाम की जगह पर नानीग राम का नाम प्रतिस्थापित करवाए हुए आधार–कार्ड को आधार बनाते हुए गलत सत्यापन रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ वर्षो पहले कुरडाराम ने कूटरचना से राशन–कार्ड में भी स्वयं के पिता का गलत नाम नानीग राम लिखवा लिया था। अपीलार्थी/आवेदक ने विस्तृत प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.06.2021 के साथ में उक्त कुरडाराम के आधार कार्ड सं. 325307913329 की प्रतिलिपि को संलग्न किया था जिसमें शुरू से ही कुरडाराम के पिता का नाम तेजाराम दर्ज था जिसकी तुलना बी.एल.ओ. श्री शंकरलाल ने कुरडाराम द्वारा प्रस्तुत किये गए कूटरचित आधार कार्ड से नही की। बी.एल.ओ. ने कुरडाराम के PAN (आयकर) AAYPC5820G का सत्यापन नही किया। कुरडाराम के [illegible] रिकार्ड जो ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ के [illegible] बी.एल.ओ. ने नही किया। बी.एल.ओ. ने इस तथ्य की जांच नही की कि वर्ष 1971 व 1975 की मतदाता–सूचियों में जब कुरडाराम के पिता का नाम तेजाराम द[illegible] किस आधार पर व किस वर्ष में उसके पिता का नाम तेजाराम से नानीग राम प्रतिस्थापित किया गया। कुरडाराम द्वारा तेजाराम के पुत्र के रूप में आबकारी विभाग में किये गए आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2014 व उसके आधार पर जारी लाईसेन्स के सम्बन्ध में बी.एल.ओ. ने कोई सत्यापन नही किया। उपरोक्तानुसार बी.एल.ओ. ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

कुरडाराम पुत्र तेजाराम के साथ मिलीभगत व साजिश करके गलत सत्यापन रिपोर्ट पेश की और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को गुमराह किया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजी साक्ष्यों से तथा दिनांक 15.07.2021 को पेश किये गए तर्को से यह पूर्णतया साबित हो गया कि मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 में प्रविष्टि क्रम संख्या 956 में कुरडाराम के पिता का नाम गलत दर्ज है व उक्त प्रविष्टि का विवरण गलत है और कुरडाराम किसी भी माध्यम से यह साबित नही कर पाया कि उसके पिता का सही नाम नानीग राम है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने उक्त प्रकरण में दिनांक 26.07.2021 को निर्णय पारित किया जिसमें अपीलांट/आवेदक का आवेदन–पत्र खारिज कर दिया गया। आवेदन–पत्र (फॉर्म–7) का सम्बन्धित भाग जो अपीलार्थी/आवेदन को ERO द्वारा हस्ताक्षर करके दिया गया उस पर आवेदन खारिज करने का निम्नलिखित कारण अंकित है :– "BLO रिपोर्ट एवं मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार मतदाता का नाम सही है। प्रस्तुत आपति पिता के नाम के आधार पर दर्ज करवाई गई है। जबकि मतदाता सूची में ईकाई मतदाता का माना जाता है। अतः नाम हटाया जाना उचित नहीं है।" आवेदन–पत्र (फॉर्म–7) के उक्त सम्बन्धित भाग की प्रतिलिपि तथा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 की प्रतिलिपि इस प्रथम अपील के साथ में संलग्न की जा रही है। मतदाता सूची की प्रविष्टि में मतदाता से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण दर्ज होते है जो उक्त प्रविष्टि के भाग होते है– प्रविष्टि क्रम संख्या, मतदाता का नाम, मतदाता के पिता का नाम, मतदाता की घर–संख्या, मतदाता की आयु, मतदाता का लिंग। मतदाता–सूची की प्रविष्टि संख्या 956 में कुरडाराम के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण से उक्त प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण विवरण वाली प्रविष्टि की श्रेणी में आ गई है। अपीलार्थी/आवेदक ने उक्त गलत एवं दोषपूर्ण प्रविष्टि को मतदाता–सूची से हटवाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 (अ) व 22 (स) के अन्तर्गत ERO को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 (अ) व 22 (स) का उदरण (Extract) निम्न प्रकार है:–

"22. Correction of entries in electoral rolls. – If the electoral registration officer for a constituency, on application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that any entry in the electoral roll of the constituency-

(a) Is erroneous or defective in any particular,

(b) X X X X X X X XX

(c) Should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll,"

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रविष्टि संख्या 956 में मतदाता कुरडाराम के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण से वह गलत व दोषपूर्ण विवरण वाली प्रविष्टि बन गई है जिसको मतदाता–सूची से हटवाने के लिए अपीलार्थी/आवेदक ने निवेदन किया था। उक्त गलत व दोषपूर्ण प्रविष्टि संख्या 956 को लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 (अ) व 22 (स) के अनुसार हटाया जाना विधिसम्मत है लेकिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नें उक्त प्रविष्टि को नही हटाने का विधि–विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील निम्नलिखित आधारों पर श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है:–

यह कि आवेदन पत्र फॉर्म–7 पर आवेदन खारिज किये जाने के कारण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने यह स्वीकारोक्ति की है कि उक्त प्रविष्टि संख्या 956 में मतदाता कुरडाराम का नाम सही व उसके पिता का नाम गलत दर्ज है और मतदाता का नाम नही हटाने का कारण मतदाता का एक इकाई होना दर्शाया है। मतदाता–सूची की प्रविष्टि में मतदाता से सम्बन्धित विवरण जैसे पिता का नाम अगर गलत दर्ज होते है तो उक्त प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण प्रविष्टि की श्रेणी में आती है। मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 में प्रविष्टि कम संख्या 956 में कुरडाराम के पिता का नाम गलत होने के कारण उक्त मतदाता का विवरण व प्रविष्टि का विवरण गलत है जिसको मतदाता–सूची से हटाया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम संख्या 21A के अनुसार विधिसम्मत है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निर्णय दिनांक 26.07.2021 विधि विरूद्ध पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह कि इस प्रकार की ऑर्डर–शीट दिनांक 26.07.2021 में अंकित किया गया है कि उक्त कुरडाराम की मतदाता–सूची में दोहरी प्रविष्टि नही है और उसके खुद के नाम में कोई परिवर्तन नही है तथा एकल प्रविष्टि होने के कारण कुरडाराम का नाम मतदाता–सूची से हटाया नही जा सकता। मतदाता–सूची में दोहरी प्रविष्टि का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 18 के अन्तर्गत आता है जिसके तहत अपीलार्थी/आवेदक ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत नही किया है और यहाँ पर दोहरी प्रविष्टि का कोई प्रश्न नही है। अपीलार्थी/आवेदक ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रश्न यह है कि उक्त कुरडाराम के पिता का नाम मतदाता सूची की उक्त प्रविष्टि संख्या 956 में गलत दर्ज है जिसके कारण मतदाता का विवरण व प्रविष्टि का विवरण गलत व दोषपूर्ण है जिनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के अनुसार हटाया जाना विधि–सम्मत है। कुरडाराम स्वयं के नाम बाबत अपीलार्थी/आवेदक ने कोई आपति नही उठाई है बल्कि प्रविष्टि में कुरडाराम के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण कुरडाराम का विवरण व प्रविष्टि गलत हो गई है। जिस बाबत आपति उठाई गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने निर्णय दिनांक 26.07.2021 अप्रासंगिक व विधि–विरूद्ध पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि अपीलार्थी/आवेदक ने ERO को दिनांक 25.[illegible].2021 को कुरडाराम पुत्र तेजाराम के PAN (आयकर) AAYPC5820G की प्रतिलिपि पेश की थी तथा उक्त कुरडाराम द्वारा कूटरचित व अवैध तरीके से बनवाये गए दूसरे PAN (आयकर) BGRPC0226J की प्रतिलिपि दिनांक 16.07.2021 को पेश की थी जिनका कार्यालय–टिप्पणी में ERO ने कोई जिक्र नही किया है। उक्त PAN (आयकर) BGRPC0226J की प्रतिलिपि इस अपील के साथ में दुबारा संलग्न की जा रही है। निर्वाचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:18 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि ग्राम कोलसिया निवासी कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने स्वयं की 21 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उसने शैक्षिणिक व अन्य दस्तावेजी सबूतों के साथ स्वयं का व्यक्तिगत विवरण सही होने की घोषणा स्वेच्छा से करके उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1971 में प्रथम बार स्वयं का मतदाता (कुरडाराम पुत्र तेजाराम) के रूप में पंजीकरण करवाया था जो बी.एल.ओ. के सत्यापन के पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1971 के भाग संख्या 8 की प्रविष्टि कम संख्या 610 पर दर्ज हुआ था, उक्त प्रविष्टि संख्या 610 में कुरडाराम के पिता का नाम तेजाराम दर्ज है। तत्पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1975 के भाग संख्या 9 में प्रविष्टि कम संख्या 653 पर उक्त कुरडाराम का विवरण दर्ज हुआ था जिसमें भी उसके पिता का नाम तेजाराम दर्ज है। उपरोक्त मतदाता–सूचियों में उक्त कुरडाराम पुत्र तेजाराम का व्यक्तिगत विवरण सही दर्ज चला आ रहा था लेकिन कुछ बर्षो बाद मे उक्त कुरडाराम ने हेराफेरी व जालसाजी से बिना किसी उचित कारण के स्वयं के पिता के सही नाम (तेजाराम) की जगह पर गलत नाम (नानीग राम के रूप में) मतदाता–सूचियो मे प्रतिस्थिापित करवा लिया जिससे मतदाता–सूचियों में उसके व्यक्तिगत विवरण वाली प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण हो गई। मतदाता कुरडाराम के गलत विवरण (पिता का नाम गलत) वाली प्रविष्टि उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 की प्रविष्टि कम संख्या 956 पर दर्ज है। उक्त कुरडाराम के पिता का सही नाम तेजाराम है जिसके प्रमाण में अपीलांट/आवेदक ने 7 दस्तावेजी साक्ष्य–सबूत उक्त विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पेश किये थे जिनको ERO ने भाग संख्या 110 के बी.एल.ओ. श्री शंकर लाल के पास सत्यापन के लिए प्रेषित कर दिया था (उक्त 7 दस्तावेजो की प्रतिलिपियॉ इस अपील के साथ में श्रीमान जी के अवलोकनार्थ दुबारा संलग्नित की गई है।) बी.एल.ओ. श्री शंकर लाल ने उक्त 7 दस्तावेजी सबूतों का बिल्कुल भी सत्यापन नही किया और उनकी पूर्ण अनदेखी व अवहेलना करके, कुरडाराम के साथ मिली–भगत करके कुरडाराम के कूटरचित आधार कार्ड (जिसमे C/O नानीग राम लिखा हुआ था तथा S/O नानीग राम नही लिखा था) को सत्यापन का आधार बनाते हुए बी.एल.ओ. ने गलत सत्यापन रिपोर्ट निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पेश की। कुरडाराम के कूटरचित आधार कार्ड की प्रतिलिपि इस अपील के साथ में संलग्न की जा रही है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021, बी.एल.ओ. की गलत सत्यापन रिपोर्ट पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने 2 तरह की अलग–अलग पहचान वाले दस्तावेज बना रखे है जिनमें से कुरडाराम पुत्र तेजाराम के रूप में बने [illegible]न सम्बन्धी दस्तावेज सही है और कुरडाराम तथाकथित पुत्र नानीग राम क[illegible] दस्तावेज फर्जी, अवैध व कूटरचित तरीके से बनाए है। उक्त कु[illegible] संख्या वाले 2 PAN आयकर विभाग से जारी करवा रखे है जिनमें से PAN (आयकर) AA[illegible]C5820G में उसके पिता का सही नाम तेजाराम दर्ज है जबकि उसने अवैध व कूटरचित तरीके से एक दूसरा PAN (आयकर) BGRPC0226J बनवा रखा है जिसमें नानीग राम को उसने स्वयं का तथाकथित पिता दर्शाया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनो PAN वर्तमान में सक्रिय है और विभिन्न जगह पर कुरडाराम पुत्र तेजाराम उनका अलग अलग पहचान पत्र के रूप में दुरूपयोग करता है। कुरडाराम ने उक्त कूटरचित व फर्जी पैन–कार्ड BGRPC0226J को सपोर्टिंग दस्तावेज के रूप में पेश करके स्वयं के आधार–कार्ड सं. 325307913329 में पता (Address) में S/O तेजाराम की जगह पर C/O नानीग राम कूटरचना से अवैध रूप से प्रतिस्थापित करवा लिया है जबकि नानीग राम 60 वर्ष पहले सन 1962 में ही मर गया था और आधार कार्ड का बनना सन 2010 के बाद शुरू हुआ है। कुरडाराम ने उक्त कूटरचित आधार कार्ड व PAN (आयकर) BGRPC0226J को पहचान के दस्तावेज के रूप में पेश करके आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार से वित–वर्ष 2016–17 के दौरान शराब–बिक्री का लाईसेन्स संख्या JUN/2016-2017/CL/130507019 दिनांक 30.03.2016 प्राप्त करके ग्राम निवाई में 2 वर्षो तक कारोबार किया, जबकि उक्त कुरडाराम ने कूटरचना से पूर्व वाले आधार कार्ड व सही PAN (आयकर) AAYPC5820G को पहचान के दस्तावेज के रूप में पेश करके आबकारी विभाग, राजस्थान सरकार से वित–वर्ष 2014–15 के दौरान शराब–बिक्री का लाइसेन्स संख्या JUN/2014-2015/CL/130507023 दिनांक 19.03.2014 प्राप्त करके ग्राम कोलसिया में 2 वर्षो तक कारोबार किया था। इससे स्पष्ट साबित है कि एक ही व्यक्ति (कुरडाराम) ने 2 अलग अलग भारतीय नागरिको के रूप में छद्मव्यक्तिता (Impersonation) की है। तेजाराम के पुत्र के रूप मे कुरडाराम को हासिल हुई भारतीय नागरिकता के आधार पर कुरडाराम ने मतदाता सूची वर्ष 1971 में स्वयं का नाम जुडवाया था। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में सरकारी सेवा की और वर्ष 2009 में सेवा–निवृत होकर सरकार से वर्तमान में पेन्शन ले रहा है। स्वयं का आधार कार्ड संख्या 325307913329 व PAN संख्या AAYPC5820G बनवाये। राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग में दिनांक 14.02.2014 को आवेदन करके वित वर्ष 2014–15 के लिए शराब बिक्री का लाईसेन्स प्राप्त किया। इस प्रकार तेजाराम के पुत्र के रूप में कुरडाराम एक भारतीय नागरिक है। लेकिन ग्राम कोलसिया में कुरडाराम तथाकथित पुत्र नानीग राम विवरण वाला कोई व्यक्ति अस्तित्व में नही है। कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने नानीग राम के तथाकथित पुत्र के रूप में भारतीय नागरिक होने की छद्मव्यक्तिता (Impersonation) की है। इसलिए उक्त कुरडाराम को नानीग राम का पुत्र दर्शाने वाली उक्त प्रविष्टि संख्या 956 को मतदाता–सूची से हटाया जाना तथा कुरडाराम को तेजाराम का पुत्र दर्शाते हुए उसके नाम को दुबारा मतदाता सूची में जोडा जाना न्याय व विधि सम्मत है। इसलिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 विधि विरूद्ध व अप्रासंगिक है जो खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि अपील को सुनने का हक श्रीमान [illegible] प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 को निरस्त फरमाया जाये तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 में प्रविष्टि कम संख्या 956 (जिसमें मतदाता का विवरण गलत दर्ज होने से प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण है) को उक्त मतदाता–सूची से हटाने का आदेश पारित किया जाये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि यह कि नाम अगर गलत दर्ज होते है तो उक्त प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण प्रविष्टि की श्रेणी में आती है। मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 में प्रविष्टि कम संख्या 956 में कुरडाराम के पिता का नाम गलत होने के कारण उक्त मतदाता का विवरण व प्रविष्टि का विवरण गलत है जिसको मतदाता–सूची से हटाया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम संख्या **21A** के अनुसार विधिसम्मत है। ऑर्डर–शीट दिनांक 26.07.2021 में अंकित किया गया है कि उक्त कुरडाराम की मतदाता–सूची में दोहरी प्रविष्टि नही है और उसके खुद के नाम में कोई परिवर्तन नही है तथा एकल प्रविष्टि होने के कारण कुरडाराम का नाम मतदाता–सूची से हटाया नही जा सकता। मतदाता–सूची में दोहरी प्रविष्टि का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 18 के अन्तर्गत आता है जिसके तहत अपीलार्थी/आवेदक ने आवेदन–पत्र प्रस्तुत नही किया है और यहॉ पर दोहरी प्रविष्टि का कोई प्रश्न नही है। अपीलार्थी/आवेदक ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रश्न यह है कि उक्त कुरडाराम के पिता का नाम मतदाता सूची की उक्त प्रविष्टि संख्या 956 में गलत दर्ज है जिसके कारण मतदाता का विवरण व प्रविष्टि का विवरण गलत व दोषपूर्ण है जिनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 22 के अनुसार हटाया जाना विधि–सम्मत है। कुरडाराम स्वयं के नाम बाबत अपीलार्थी/आवेदक ने कोई आपति नही उठाई है बल्कि प्रविष्टि में कुरडाराम के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण कुरडाराम का विवरण व प्रविष्टि गलत हो गई है। अपीलार्थी/आवेदक ने ERO को दिनांक 25.06.2021 को कुरडाराम पुत्र तेजाराम के PAN (आयकर) AAYPC5820G की प्रतिलिपि पेश की थी तथा उक्त कुरडाराम द्वारा कूटरचित व अवैध तरीके से बनवाये गए दूसरे PAN (आयकर) BGRPC0226J की प्रतिलिपि दिनांक 16.07.2021 को पेश की थी जिनका कार्यालय–टिप्पणी में ERO ने कोई जिक नही किया है। ग्राम कोलसिया निवासी कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने स्वयं की 21 वर्ष आयु पूर्ण होने पर उसने शैक्षिणिक व अन्य दस्तावेजी सबूतों के साथ स्वयं का व्यक्तिगत विवरण सही होने की घोषणा स्वेच्छा से करके उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1971 में प्रथम बार स्वयं का मतदाता (कुरडाराम पुत्र तेजाराम) के रूप में पंजीकरण करवाया था जो बी.एल.ओ. के सत्यापन के पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1971 के भाग संख्या 8 की प्रविष्टि कम संख्या 610 पर दर्ज हुआ था, उक्त प्रविष्टि संख्या 610 [illegible] तेजाराम दर्ज है। तत्पश्चात उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 1975 के [illegible] 9 में प्रविष्टि कम संख्या 653 पर उक्त कुरडाराम का विवरण दर्ज हुआ था [illegible] तेजाराम दर्ज है। उपरोक्त मतदाता–सूचियों में उक्त कुरडाराम पु[illegible] सही दर्ज चला आ रहा था लेकिन कुछ वर्षो बाद मे उक्त कुरडाराम ने हेराफेरी व [illegible]साजी से बिना किसी उचित कारण के स्वयं के पिता के सही नाम (तेजाराम) की जगह पर गलत नाम (नानीग राम के रूप में) मतदाता–सूचियो मे प्रतिस्थापित करवा लिया जिससे मतदाता–सूचियों में उसके व्यक्तिगत विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

वाली प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण हो गई। कुरडाराम पुत्र तेजाराम ने 2 तरह की अलग–अलग पहचान वाले दस्तावेज बना रखे है जिनमें से कुरडाराम पुत्र तेजाराम के रूप में बने हुए पहचान सम्बन्धी दस्तावेज सही है और कुरडाराम तथाकथित पुत्र नानीग राम के रूप में बनाये गए पहचान सम्बन्धी दस्तावेज फर्जी, अवैध व कूटरचित तरीके से बनाए है। उक्त कुरडाराम ने अलग–अलग संख्या वाले 2 PAN आयकर विभाग से जारी करवा रखे है जिनमें से PAN (आयकर) AAYPC5820G में उसके पिता का सही नाम तेजाराम दर्ज है जबकि उसने अवैध व कूटरचित तरीके से एक दूसरा PAN (आयकर) BGRPC0226J बनवा रखा है जिसमें नानीग राम को उसने स्वयं का तथाकथित पिता दर्शाया हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 को निरस्त फरमाया जाये तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता–सूची वर्ष 2021 के भाग संख्या 110 में प्रविष्टि क्रम संख्या 956 (जिसमें मतदाता का विवरण गलत दर्ज होने से प्रविष्टि गलत व दोषपूर्ण है) को उक्त मतदाता–सूची से हटाने का आदेश पारित किया जाये।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अदालत मातहत द्वारा बी0एल0ओ0 की जांच के बाद कुरडाराम का नाम मतदाता सूची मे सही तरीके से जोडा गया है। अदालत मातहत का निर्णय विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.07.2021 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं बहस से जाहिर है कि मतदाता सूची मे कुरडाराम पुत्र तेजाराम तथा कुरडाराम पुत्र नानिगराम की अलग–अलग प्रविष्टियां है। नियमानुसार एक ही व्यक्ति का दो बार मतदाता सूची में नही होना चाहिए। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 26.07.2021 निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों नामों के क्रम मे गहनता से जांच कर यह सुनिश्चित करलें कि कुरडाराम का नाम मतदाता सूची मे एक जगह दर्ज रहे एवं दूसरा प्रविष्टि हो तो उसे निरस्त किया जावे। प्रविष्टि मे कोई त्रुटि हो तो नियमानुसार संशोधन किया जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested